विमुक्त जनजातियों के लिए एक अलग वर्गीकरण: मान्यता या निरर्थकता?

UPSC प्रासंगिकता- GS पेपर 1: सामाजिक मुद्दे और हाशिए पर रहने वाले समुदाय **GS पेपर 2:** कल्याणकारी योजनाएं, संवैधानिक तंत्र, कमजोर वर्ग

IAS-PCS Institute

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (DNTs) के नेताओं को आश्वासन दिया है कि 2027 की जनगणना में उनकी गणना की जाएगी। हालांकि, सामुदायिक संगठन जनगणना में एक अलग कॉलम और एक विशिष्ट संवैधानिक वर्गीकरण की मांग कर रहे हैं, जिससे मान्यता, गणना और सामाजिक न्याय पर बहस फिर से शुरू हो गई है।

पृष्ठभूमि:

"आपराधिक जनजातियों" से विमुक्ति तक DNTs का ऐतिहासिक हाशिए पर जाना औपनिवेशिक काल के 'क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट' (अपराधिक जनजाति अधिनियम) से उत्पन्न हुआ है। इस अधिनियम ने ब्रिटिश अधिकारियों को इस धारणा पर पूरे समुदायों को पंजीकृत करने और उन पर निगरानी रखने की अनुमति दी कि अपराध वंशानुगत था। घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समूहों को प्रशासनिक रूप से असुविधाजनक और सामाजिक रूप से संदिग्ध माना जाता था। इस औपनिवेशिक तर्क ने जाति को स्वाभावतः अपराध से जोड़ दिया। समुदायों की निगरानी की गई, उनके आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया और उन्हें "जन्मजात अपराधी" के रूप में कलंकित किया गया। 1952 में, स्वतंत्र भारत ने इस अधिनियम को निरस्त कर दिया और इन समूहों को "विमुक्त" (denotified) कर दिया गया। हालांकि, कई राज्यों में 'अभ्यस्त अपराधी अधिनियम' (Habitual Offenders Acts) लागू होने का मतलब था कि निगरानी और कलंक एक अलग कानूनी ढांचे के तहत जारी रहा। इस प्रकार, जबकि कानूनी लेबल बदल गया, सामाजिक संदेह बना रहा।

गणना और अदृश्यता की समस्या

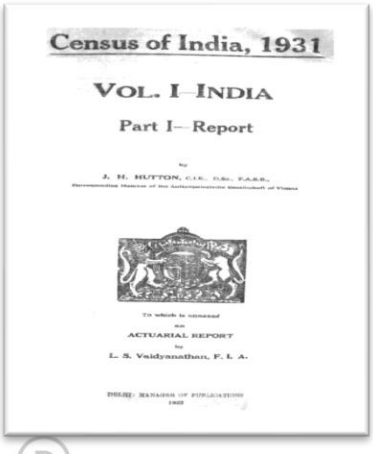

DNTs की अंतिम बार विशिष्ट गणना 1931 की जनगणना में की गई थी। स्वतंत्रता के बाद, भारत ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के अलावा अन्य जातियों की गणना न करने का विकल्प चुना। समय के साथ, अधिकांश DNT समुदायों को SC, ST या OBC सूचियों में शामिल कर लिया गया। हालांकि, इस एकीकरण ने तीन प्रमुख समस्याएं पैदा कीं:

IAS-PCS Institute

- विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव
- राज्यों में खंडित वर्गीकरण
- लक्षित नीति निर्माण की कमी

रेनके आयोग (2008) और विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग सहित कई आयोगों ने इस बात पर जोर दिया कि उचित गणना के बिना सटीक पहचान असंभव है। इदाते आयोग (2017) ने लगभग 1,200 DNT समुदायों की पहचान की और पाया कि 268 अभी भी अवर्गीकृत थे। इसने सिफारिश की:

- DNTs के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग
- व्यापक पहचान और वर्गीकरण
- केंद्रित कल्याणकारी हस्तक्षेप फिर भी, कार्यान्वयन सीमित रहा है।

Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

SEED योजना और प्रशासनिक बाधाएं

सामाजिक न्याय मंत्रालय ने आजीविका, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए 200 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ SEED (विमुक्त जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना) कार्यक्रम शुरू किया। हालांकि, एक संरचनात्मक कारण से इस योजना का प्रदर्शन उम्मीद से कम रहा:

- पात्रता के लिए DNT प्रमाणपत्र आवश्यक था। कई राज्यों में:
- DNT प्रमाणपत्र समान रूप से जारी नहीं किए जाते हैं।
- प्रशासनिक स्पष्टता का अभाव है।
- लाभार्थी DNT के रूप में अपनी पहचान साबित करने में असमर्थ हैं। परिणामस्वरूप, आवंटित धन का केवल एक अंश ही उपयोग किया गया है। यह एक व्यापक शासन अंतराल को दर्शाता है: पहचान के बिना कल्याण, बहिष्करण (exclusion) की ओर ले जाता है।

सामुदायिक नेता अलग वर्गीकरण की मांग क्यों करते हैं?

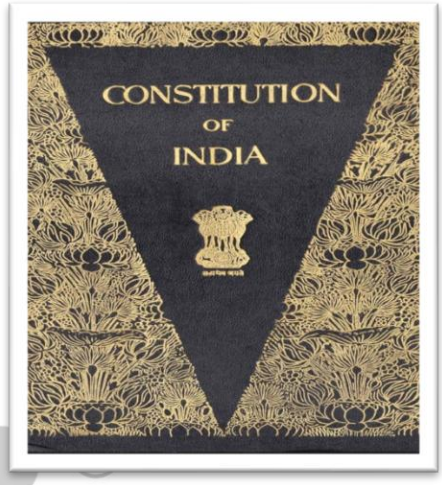

सामुदायिक नेताओं का तर्क है कि:

- औपनिवेशिक अपराधीकरण ने एक अनूठा कलंक पैदा किया जिसका सामना अन्य पिछड़े समूहों ने नहीं किया।
- स्वतंत्रता के बाद के कानूनों ने सामाजिक संदेह को बनाए रखा।
- SC/ST/OBC सूचियों में शामिल होने से उनकी विशिष्ट पहचान कमजोर हो गई।
- एक अलग श्रेणी की कमी के परिणामस्वरूप असमान लाभ और नौकरशाही भ्रम पैदा होता है। उनका तर्क है कि SC, ST या OBC के समान संवैधानिक वर्गीकरण से:
- राज्यों में समान प्रमाणन सुनिश्चित होगा।
- लक्षित नीति सक्षम होगी।
- ऐतिहासिक अन्याय को स्वीकार किया जा सकेगा।
- राजनीतिक दृश्यता मिलेगी। कुछ समूह आंतरिक असमानताओं को दूर करने के लिए DNTs के भीतर उप-वर्गीकरण की मांग भी करते हैं। मूल रूप से, यह आंदोलन केवल आरक्षण के बारे में नहीं है, बल्कि मान्यता, सम्मान और ऐतिहासिक कलंक को हटाने के बारे में है।

सरकार का पक्ष

केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि चूंकि अधिकांश DNT समुदाय पहले से ही SC/ST/OBC सूचियों में शामिल हैं, इसलिए एक अलग संवैधानिक वर्गीकरण आवश्यक नहीं हो सकता है। एक कल्याण बोर्ड को पर्याप्त माना गया है। हालांकि, समान पहचान और मजबूत आंकड़ों के बिना, कल्याणकारी तंत्र प्रशासनिक रूप से कमजोर बने हुए हैं। 2027 की जनगणना में गणना का आश्वासन एक कदम आगे है, लेकिन कार्यप्रणाली पर स्पष्टता अभी भी गायब है।

प्रमुख संवैधानिक और नीतिगत प्रश्न यह मुद्दा गहरे शासन संबंधी प्रश्न उठाता है:

- क्या ऐतिहासिक अन्याय के लिए विशिष्ट संवैधानिक मान्यता की आवश्यकता होनी चाहिए?
- क्या खंडित एकीकरण अनुच्छेद 14 के तहत वास्तविक समानता सुनिश्चित कर सकता है?
- क्या सामाजिक न्याय के लिए पहचान-विशिष्ट ढांचे की आवश्यकता है या मौजूदा श्रेणियों के भीतर एकीकरण की? प्रशासनिक दक्षता को लक्षित न्याय के साथ संतुलित करना केंद्रीय दुविधा बनी हुई है।

IAS PCS Institute
Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

आगे की राह

- **पारदर्शी जनगणना गणना:** एक स्पष्ट रूप से परिभाषित जनगणना पद्धति, संभवतः एक अलग कॉलम के माध्यम से, आवश्यक है।
- **समान प्रमाणन तंत्र:** कल्याणकारी योजनाओं से बहिष्करण को रोकने के लिए राज्यों को DNT प्रमाणन को सुव्यवस्थित करना चाहिए।
- **वर्गीकरण अध्ययन का पुनरुद्धार:** अवर्गीकृत समुदायों पर भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण की लंबित रिपोर्ट जारी की जानी चाहिए।
- **संस्थागत तंत्र:** एक वैधानिक या स्थायी आयोग तत्काल संवैधानिक पुनर्गठन के बिना केंद्रित निगरानी प्रदान कर सकता है।
- **उप-वर्गीकरण बहस:** विशिष्ट समूहों द्वारा लाभों के एकाधिकार को रोकने के लिए DNTs के भीतर आंतरिक असमानताओं को पहचाना जाना चाहिए।

निष्कर्ष

विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के अलग वर्गीकरण की मांग एक नौकरशाही चिंता से कहीं अधिक है—यह ऐतिहासिक स्वीकृति और संरचनात्मक न्याय का आह्वान है। हालांकि एक नई संवैधानिक श्रेणी बनाने के लिए सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श की आवश्यकता है, लेकिन गणना और संस्थागत स्पष्टता में देरी नहीं की जा सकती। वास्तविक सामाजिक न्याय केवल सूचियों में शामिल होने में नहीं, बल्कि जमीनी वास्तविकताओं की सार्थक मान्यता में निहित है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (15 अंक | 250 शब्द)

प्रश्न: "विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (DNTs) का निरंतर हाशिए पर रहना औपनिवेशिक विरासत और स्वतंत्रता के बाद की नीतिगत खामियों दोनों को दर्शाता है।" उनके अलग संवैधानिक वर्गीकरण की मांग के संदर्भ में चर्चा कीजिए।